462 ले.पि.॥
10-9-07

राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

सत्यमेव जयते

भाद्र 12, सोमवार, शाके 1929–सितम्बर 3, 2007
Bhadra 12, Monday, Saka 1929–September 3, 2007

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

अधिसूचनाएं

जयपुर, अगस्त 29, 2007

संख्या प.8(ग)(327)नियम/स्वाशा/1995/5513:–राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (1959 का राजस्थान अधिनियम संख्या 38) की धारा 104 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा निर्देश देती है कि राजस्थान राज्य की समस्त नगर निगमों, नगर परिषदों तथा नगरपालिकाओं द्वारा अपने क्षेत्रों में स्थित भूमि (कृषि भूमि के अतिरिक्त) या निर्मित क्षेत्र/तल क्षेत्रों पर तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार कर उद्‌गृहीत किया जावेगा, अर्थात् :–

कर का निर्धारण सम्पत्ति के वर्गीकरण के अनुसार निम्न सूत्रों के आधार पर किया जावेगा :–

➢ आवासीय इकाई पर कर निर्धारण:–

$$\frac{\text{भूमि का क्षेत्रफल (वर्गगज में)} \times \text{क्षेत्र की आवासीय डीएलसी दर (प्रति वर्गमीटर)}}{2000}$$

➢ बहुमंजिला भवनों में फ्लेट हेतु कर की गणना तलक्षेत्र (Built up Area) के आधार पर निम्नानुसार की जावेगी :–

$$\frac{\text{तलक्षेत्र का क्षेत्रफल (वर्गगज में)} \times \text{क्षेत्र की आवासीय डीएलसी दर (प्रति वर्गमीटर)}}{2000}$$

➢ संस्थानिक/औद्योगिक इकाई पर कर की गणना:–

$$\frac{\text{भूमि अथवा निर्मित क्षेत्र (जो भी अधिक हो) का क्षेत्रफल (वर्गगज में)} \times \text{क्षेत्र की संस्थानिक/औद्योगिक डीएलसी दर (प्रति वर्गमीटर)}}{2000}$$

➢ व्यावसायिक इकाई पर कर निर्धारण :–

$$\frac{\text{भूमि अथवा निर्मित क्षेत्र (जो भी अधिक हो) का क्षेत्रफल (वर्गगज में)} \times \text{क्षेत्र की व्यावसायिक डीएलसी दर (प्रति वर्गमीटर)}}{2000}$$

- ➢ यह कर भूमि/निर्मित क्षेत्र के आधार पर तथा वार्षिक आधार पर इकाई आधार पर देय होगा।
- ➢ कर का निर्धारण सम्बन्धित क्षेत्र की डीएलसी दरों के आधार पर किया जावेगा।
- ➢ जिस क्षेत्र की औद्योगिक डीएलसी दरें तय नहीं हैं, उन क्षेत्रों के लिए निकटतम क्षेत्र की औद्योगिक दरें प्रभावी रहेंगी।
- ➢ करदाता द्वारा स्वयं कर का निर्धारण किया जा सकेगा।
- ➢ कर का निर्धारण सम्पत्ति के वास्तविक उपयोग के आधार पर किया जावेगा।
- ➢ कर का दायित्व स्वामित्व एवम् अधिवास के आधार पर होगा।
- ➢ स्वतन्त्र आवास में कर का निर्धारण भूमि के क्षेत्र के आधार पर किया जावेगा।
- ➢ फ्लेट पर कर का निर्धारण निर्मित क्षेत्र (Built up Area वर्गगजों में) के आधार पर किया जावेगा।
- ➢ विभाजित सम्पत्तियों का कर निर्धारण उनके स्वामित्व के हिस्से को फ्लेट मानकर किया जावेगा।

- वाणिज्यिक/औद्योगिक/संस्थानिक परिसरों में भूमि अथवा निर्मित क्षेत्र (गजों में) जो भी अधिक हों, के आधार पर कर की गणना की जावेगी।
- ऐसे वाणिज्यिक/औद्योगिक परिसर जहां एक से अधिक स्वामित्व की सम्पत्तियां हों, उनके निर्मित क्षेत्र (Built up Area वर्गगजों में) के आधार पर कर की गणना की जावेगी।
- 100 वर्गगज से अधिक के व्यावसायिक भू-खण्डों पर भिन्न-भिन्न स्वामित्व के निर्मित क्षेत्र (Built up Area) के आधार पर पृथक्-पृथक् कर निर्धारण किया जावेगा।
- 300 वर्गगज क्षेत्र से अधिक की औद्योगिक उपयोग की सम्पत्तियों पर भिन्न-भिन्न स्वामित्व के निर्मित क्षेत्र (Built up Area) के आधार पर पृथक्-पृथक् कर निर्धारण किया जावेगा।
- बजट होटल, 1, 2 व 3 स्टार होटलों तथा गेस्ट हाउसों पर औद्योगिक दरें प्रभावी होंगी।
- केन्द्र सरकार की व्यावसायिक उपयोग में आ रही सम्पत्तियों पर भी कर लागू होगा।
- यह कर समस्त निजी स्वामित्व की सम्पत्तियों, सार्वजनिक उपक्रमों, मण्डलों, निगमों इत्यादि पर लागू होगा।

जयपुर, अगस्त 29, 2007

संख्या प.8(ग)(327)नियम/स्वाशा/1995/5944:-राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (1959 का राजस्थान अधिनियम संख्या 38) की धारा 107 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार यह मत रखते हुए कि ऐसा करने के लिए समुचित कारण विद्यमान हैं, एतद्द्वारा राजस्थान राज्य के समस्त नगर निगमों, नगर परिषदों एवम् नगरपालिका क्षेत्रों में स्थित निम्न प्रकार की भूमि अथवा निर्मित क्षेत्र/तल क्षेत्रों को तुरन्त प्रभाव से उक्त अधिनियम की धारा 104 की उप-धारा (1) के खण्ड (1) के अन्तर्गत उद्ग्रहणीय कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है, अर्थात :-

- 300 वर्गगज तक के समस्त स्वतन्त्र आवास एवम् उस पर बने फ्लेट;
- 300 वर्गगज तक के संस्थानिक व औद्योगिक परिसर;
- 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्र की भूमि पर बने 1500 वर्गफीट (Built Up Area) तक के आवासीय फ्लेट;
- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 107 में छूट प्राप्त सम्पत्तियां;
- केवल धार्मिक (पूजा, अर्चना एवम् प्रार्थना आदि के) उपयोग की समस्त सार्वजनिक सम्पत्तियां (वाणिज्यिक उपयोग सहित) ।
- चेरिटेबल ट्रस्ट की समस्त सम्पत्तियां (वाणिज्यिक उपयोग सहित)।
- राज्य सरकार के विशेष आदेश द्वारा कर मुक्त की गई शैक्षणिक संस्थायें।
- 100 वर्गगज तक व्यावसायिक भू-खण्ड जिनमें 900 वर्गफीट तक (Built Up Area) निर्माण हो; परन्तु 900 वर्गफीट से अधिक निर्मित क्षेत्र होने पर समस्त क्षेत्र पर कर देय होगा।

आज्ञा से,
ओ. पी. हर्ष,
उप शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।